FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

खेतराम बजोर बनाम राजुराम बजोर

किस्म मुकदमा रा. आवेदन 111, 128 RLR Act न. 143 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.5.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेतराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4.6.19 को पेश हो।	
4.6.19	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणो के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। पीठासीन अधिकारी महोदय निर्वाचन कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्दा दि० 5/9/19 को पेश हो	
25.7.19	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणो के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी निर्वाचन कार्यों मे व्यस्त होने से पत्रावली दि० 24.10.19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested

14.10.19 प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणो के नोटिस तामील शुदा प्राप्त। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 Pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या अन्य की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है अत: पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/12/19 को पेश हो।

30/12/19 प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] अवकाश मे होने से पत्रावली दिनांक 10/2/2020 को पेश हो।

10/2/2020 प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत शामलात आए हुए है प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतो के बीच पुरानी मोढ एवं कांटे आए हुए है जो आंधियो की वजह से बिखर गए है जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। वर्षात होने पर वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत को तोडकर उसमे काश्त कर लेते है। जिस कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की पक्की नेवमबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेवमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेवमबंदी स्वीकार की जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेवमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर एवं सम्बन्धित भू.अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेवमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
10.2.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 109 दिनांकः– 12/2/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खेताराम पुत्र रामाराम वगैरा जाति जाट निवासी मलवा गोयलान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. राजूराम पुत्र मंगलाराम वगैरा निवासी मलवा गोयलान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 143 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा मलवा गोयलान पटवार हल्का चीबी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 135, 188 / 16, 238 / 128 रकबा क्रं.स. 84.16, 55.16, 50.14 बीघा व मौजा पाबोलाई पटवार हल्का खारापार के खसरा नम्बर 41 रकबा 20.04 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधिंत भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

10.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 110–114 दिनांकः– 12/2/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी चीबी / खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम
4. विप्रार्थीगण श्री राजूराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा

10.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested